

क्रमांक	विषय	राशि	कक्षा
1.	एक मुश्त दाखिला राशि (One time admission fees)	500/-	1 से 5
		1000/-	6 से 12
2.	मासिक फीस (Monthly fees)	200/-	1 से 3
		250/-	4 से 5
		300/-	6 से 8
		400/-	9 से 10
		500/-	11 से 12

6. विद्यार्थियों से ली जाने वाली यह फीस शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 21 (1) की अनुपालना में गठित स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) द्वारा विद्यालय के रखरखाव पर ही खर्च की जाएगी।
7. 134-A के तहत विशेष आरक्षण:- हरियाणा शिक्षा नियम-2003 की धारा 134-A के अनुसार BPL श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए फीस का निम्नानुसार प्रावधान होगा:-

BPL/EWS families having income (in Rs.)	Percentage of Reservation
Below 2 Lac	20%
2 lakh -2.50 Lac	10%
Above 2.50 Lac	No reservation

नोट- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाए गए नियमों में परिभाषित लाम से वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के आरक्षण को सही अनुपात में जारी रखा जाएगा।

पृष्ठांकन क्रमांक सम्

- इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा सरकार।
 2. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री हरियाणा सरकार।
 3. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
 4. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
 5. निजी सहायक, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
 6. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, हरियाणा, पंचकूला।
 7. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरुग्राम।
 8. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
 9. राज्य के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला
दिनांक 29.09.2020

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला